क्रमांक-48

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 08 जून, 2018 (ज्येष्ठ 18, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-210-राऊ से निर्वाचित सदस्य, श्री जितू पटवारी को रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर, रेंज भोपाल की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 02.06.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 02.06.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

‘‘ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भोपाल सेशन कोर्ट एफ-12, मा.न्यायाधीश श्री सुरेश सिंह की कोर्ट द्वारा थाना खुडैल जिला-इन्दौर के अपराध क्रमांक 377/07 भा.द.वि. की धारा 353 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री जितू पटवारी को (यथास्थिति, बंदीकरण या विरोध के कारण) न्यायालय द्वारा जारी जेल वारंट प्रस्तुत करने पर बंदी/निरुद्ध कर लिया गया था.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री जितू पटवारी को दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को 17.30 बजे बंदी कर/अभिरक्षा में लिया जाकर केन्द्रीय जेल भोपाल में 19.20 बजे निरुद्ध किया जाकर मा.न्यायालय के आदेश से दिनांक 21.04.2018 को 17.10 बजे रिहा किया गया. ’’

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.